रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234414
SG-DL-E-23032022-234414

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/चैत्र 2, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 563
No. 195]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/CHAITRA 2, 1944	[N. C. T. D. No. 563

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग

(दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2022

फा. सं. एफ.1(304)/एस.बी./डी.टी.टी.ई./नोटीफिकेशन/डी.टी.यू./2021–354.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 30 के साथ पठित धारा 31 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबंधन बोर्ड एतदद्वारा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली, के अध्ययन का एक विषय/विभाग/विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित संविधियां बनाता है अर्थात् –

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ –**

(1) इन संविधियों को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संविधियां (छठा), 2021 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 परिभाषाएँ.

(1) इन संविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **''विश्वविद्यालय''** का अभिप्राय दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) से है।

(ख) **"विभाग"** का अभिप्राय विश्वविद्यालय अध्ययन के एक विभाग से है।

(ग) **''कार्यात्मक क्लस्टर"** का अभिप्राय औद्योगिक अनुसंधान और विकास, स्नातक अध्ययन, स्नातकोत्तर अध्ययन, छात्र कल्याण, भूतपूर्व छात्र मामलों, निरंतर शिक्षा, आउटरीच और विस्तार गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, छात्र अनुशासन तथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य पहलुओं के निपटान के लिए बनाए गए कार्यात्मक समूहों से हैं।

(घ) **"डीन"** उसे सौंपे गए कार्यात्मक क्लस्टर का प्रमुख होगा और उसे सौंपे गए कार्यों में काम के मानकों के अनुरक्षण तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ड.) ''प्रमुख'' का अभिप्राय विभागाध्यक्ष से है।

(च) "सीएएस" का अभिप्राय कैरियर अभ्युदय योजना से है।

(2) **"विश्वविद्यालय शिक्षक"** का अभिप्राय विश्वविद्यालय में कार्यरत, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर सहित पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर से है। इन संविधियों तथा अधिनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. **अध्ययन का एक विशय में शिक्षको की वरिष्ठता का निर्णय यथा उपबन्धित निम्नानुसार किया जाएगा–**

(i) अध्ययन का एक विषय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की वरिष्ठता को अलग से अनुरक्षित किया जाएगा और विश्वविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि एक से अधिक विश्वविद्यालय शिक्षक एक ही तारीख को शामिल होते हैं तो विश्वविद्यालय शिक्षक की जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा। जिनका जन्म पहले हुआ है, वे वरिष्ठ रैंक को प्राप्त करेंगे। यदि जन्म तिथि भी समान है, तो विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में नियमित रूप से अधिक अनुभव रखने वाले विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए वरिष्ठता के निर्धारण का मानदंड होगा।

(ii) कैरियर अभ्युदय योजना के अंतर्गत पदोन्नत विश्वविद्यालय शिक्षक की वरिष्ठता उसी विषय में उनकी पात्रता की तिथि से होगी जैसा कि संबंधित उम्मीदवारों की चयन समिति की सिफारिशों में इंगित किया गया है।

(iii) ऐसे मामले जहां विश्वविद्यालय शिक्षक को कैरियर अभ्युदय योजना पदोन्नति के माध्यम से शुरू में उच्च पद के लिए चयनित है तथा बाद में सीधी भर्ती के माध्यम से भीया इसके विपरीत चुना गया है; ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षक की वरिष्ठता को कैरियर अभ्युदय योजना द्वारा या उसी विषय में सीधी भर्ती द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व की तिथि से माना जाएगा।

4. **शिक्षको की वरिष्ठता का निर्णय यथा उपबन्धित निम्नानुसार किया जाएगा–**

एक विभाग में एक या अधिक विषय शामिल हो सकते हैं। यदि केवल अध्ययन का एक विषय है, तो ऊपर (3) में उल्लिखित प्रक्रिया लागू होगी। यदि एक से अधिक अध्ययन के विषय हैं, तो वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी–

विभाग में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की वरिष्ठता को अलग से अनुरक्षित किया जाएगा और विश्वविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तथापि, विभाग के भीतर विभिन्न विषयों के संबंध में, विश्वविद्यालय शिक्षक की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व की तिथि से विचार किया जाएगा। पहले कार्यभार ग्रहण करने वाला विश्वविद्यालय शिक्षक बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों से वरिष्ठ होगा।

यदि एक से अधिक विश्वविद्यालय शिक्षक एक ही तिथि पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो शिक्षकों की जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा। जिनका जन्म पहले हुआ है, वे वरिष्ठ रैंक को प्राप्त करेंगे। यदि जन्म तिथि भी समान है, तो विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में नियमित रूप से अधिक अनुभव रखने वाले विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए वरिष्ठता के निर्धारण का मानदंड होगा।

5. **विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षको की वरिष्ठता का निर्णय यथा उपबन्धित निम्नानुसार किया जाएगा–**

थ्वश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की वरिष्ठता को अलग से अनुरक्षित किया जाएगा और विश्वविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तथापि, विभिन्न विषयों/विभागों में कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने की स्थिति में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए जन्म–तिथि पर विचार किया जाएगा। पहले कार्यभार ग्रहण करने वाला विश्वविद्यालय शिक्षक बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों से वरिष्ठ होगा। यदि एक से अधिक विश्वविद्यालय शिक्षक एक ही तिथि पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो शिक्षकों की जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा। जिनका जन्म पहले हुआ है, वे वरिष्ठ रैंक को प्राप्त करेंगे। यदि जन्म तिथि भी समान है, तो विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में नियमित रूप से अधिक अनुभव रखने वाले विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए वरिष्ठता के निर्धारण का मानदंड होगा।

6. विभागाध्यक्षों और डीनों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्णय यथा उपबन्धित निम्नानुसार किया जाएगा–

(i) विभागाध्यक्षों के प्रमुख की वरिष्ठता का निर्धारण दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में विभागाध्यक्ष के रूप में नेतृत्व के कुल संचयी कार्यकालों के आधार पर कार्यकाल के बीच के अंतर को अनदेखा करते हुए किया जाएगा।

(ii) डीन की वरिष्ठता का निर्धारण दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन के रूप में नेतृत्व के कुल संचयी कार्यकालों के आधार पर कार्यकाल एवं कार्यात्मक कलस्टर के बीच के अंतर को अनदेखा करते हुए किया जाएगा।

7. प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की मूल स्थिति का निर्णय यथा उपबन्धित निम्नानुसार किया जाएगा–

(i) यदि विश्वविद्यालय शिक्षक को सीधी भर्ती पर नियुक्त करता है, लेकिन बाद में कैरियर अभ्युदय योजना के अंतर्गत पदोन्नत करता है, तो ऐसे मामलों में मूल पद वह पद होगा जिस पर विश्वविद्यालय शिक्षक को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है।

(ii) यदि विश्वविद्यालय के शिक्षक को कैरियर अभ्युदय योजना पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन बाद में उसे अनुशासन के भीतर बाद की तिथि पर सीधी भर्ती के अंतर्गत पदोन्नत किया गया है, तो ऐसे मामलों में मूल पद वह पद होगा जिस पर विश्वविद्यालय शिक्षक को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है।

(iii) यदि किसी भी विषय का पदधारी विश्वविद्यालय शिक्षक सीधी भर्ती पर अन्य विषय में शामिल होता है, तो उसकी वरिष्ठता का निर्णय नए विषय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा। वह नए अनुशासन में मूल पद धारण करेगा।

8 मतभेदों को दूर करने की शक्ति–

(i) अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन जिन मुद्दों को इसके तहत कवर नहीं किया गया है या व्याख्या के मतभेदों की स्थिति में, कुलपति निर्णय ले सकता है। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) विशेष परिस्थितियों में, कुलपति संशोधन, आशोधन, सम्मिलन या विलोपन को अनुमोदित कर सकता है जो उसके विचार में वि"वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक या समीचीन है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. एलिस वाज़, सचिव, प्र. एवं तक. शिक्षा

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

(Delhi Technological University)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2022

F. No. F. 1(304)/SB/DTTE/Notification/DTU/2021-354.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 read with section 30 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Board of Management hereby, makes the following Statutes of the Delhi Technological University, Delhi, relating to determination of Seniority of the University Teachers in the Discipline/ Department/ University namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These Statutes may be called the Delhi Technological University Statutes (Sixth), 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–

(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires,

(a) **University"** means Delhi Technological University (DTU).

(b) **"Department"** means a department of studies of the University

(c) **"Functional Cluster"** means Industrial research & development, undergraduate studies, post graduate studies, student welfare, alumni affairs, continuing education, outreach and extension activities, international affairs, student discipline and such functional clusters created to deal with such other aspects as the Board of Management deems it necessary.

(d) **"Dean"** shall be the head of the functional cluster assigned to him/her and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of the work in the functions assigned to him/her.

(e) **"Head"** means Head of Department.

(f) **"CAS"** means Career Advancement Scheme.

(2) **"University Teacher"** means Professor, Associate Professor and Assistant Professor including Professor, Associate Professor and Assistant Professor of the erstwhile Delhi College of Engineering, working in the university. Words and expressions used but not defined in these Statutes and defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. The Seniority of Teachers within Discipline will be decided as provided here under.--

(i) The seniority of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in the discipline shall be maintained separately and shall be determined on the basis of their date of joining in the university. In case more than one University Teacher joins on the same date then the seniority shall be considered according to the date of birth of the University Teacher. Those who born earlier will rank senior. If date of birth is also same, then the University Teacher having more experience in University as regular University Teacher shall be the criterion for the determination of seniority.

(ii) The seniority of the University Teacher promoted under CAS shall be from the date of their eligibility in the same discipline as indicated in the recommendations of the selection committee of the respective candidates.

(iii) The cases where the University Teacher has been selected to the higher post initially through CAS promotion, later also selected through direct recruitment or vice versa, the seniority of such University Teacher will be considered from the earlier date of joining either by CAS or direct recruitment in the same discipline.

4. The seniority of teachers within the Department will be decided as provided hereunder:-

A Department may consist of one or more disciplines. If there is only one discipline, then the procedure mentioned at (3) above shall be applicable. If there are more than one discipline, then seniority shall be determined as under:

The seniority of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in the department shall be maintained separately and shall be determined on the basis of their date of joining in the department. However, in case of differentdisciplines within the department, the earlier date of joining will be considered for determination of the seniority of the University Teacher. TheUniversity Teacher joining on an earlier date shall be senior to the later one. In case more than one University Teacher joins on the same date then the seniority shall be considered according to the date of birth of the UniversityTeacher. Those who born earlier will rank senior. If date of birth is also samethen the University Teacher having more experience in university as regularUniversity Teacher shall be the criterion for the determination of seniority.

5. Seniority of teacher at the University level will be decided as provided hereunder:-

The seniority of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in the university shall be maintained separately and shall be determined on the basis of their date of joining in the university. However, in case the date of joining of the University Teacher working in different discipline/department is same then the date of birth will be taken for determination of the seniority.Those who born earlier will rank senior. In case more than one University Teacher joins on the same date, then the seniority shall be considered according to the date of birth of the University Teacher. Those who born earlier will rank senior. If date of birth is also same, then the University Teacher having more experience in university as regular University Teachershall be the criterion for the determination of seniority.

6. Inter-se Seniority of Head of Departments and Deans will be decidedas provided hereunder.--

(i) Seniority of the Head of the Departments shall be determined on the basis of total cumulative tenures of Headship in Delhi Technological University/Delhi College of Engineering irrespective of the gap between tenures.

(ii) Seniority of the Deans shall be determined on the basis of total cumulativetenures of Deanship in Delhi Technological University/ Delhi College of Engineering irrespective of the gap between tenures and functional cluster.

7. Substantive position of Professor/Associate Professor/Assistant Professor will be decided as provided here-under:-

(i) If the University Teacher is appointed on direct recruitment but later promoted under CAS, in such cases the substantive post shall be the post on which University Teacher has been directly recruited.

(ii) If the University Teacher is appointed on CAS but later he is promoted underdirect recruitment on the later date within discipline, in such cases the substantive post shall be post on which University Teacher has been directly recruited.

(iii) If the incumbent University Teacher of any discipline joins other discipline on direct recruitment, his seniority shall be decided according to the seniority of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in the new discipline. He will hold the substantive post in the new discipline.

8. Power to remove difficulties.--

(i) Subject to the provisions of the Act, Statues and Ordinances, the issuesnot covered hereunder or in the event of differences of interpretation, the Vice Chancellor may take a decision. The decision of the Vice Chancellor shall be final.

(ii) In special circumstances, the Vice Chancellor may approve amendment, modification, insertion or deletion which in his opinion is necessary or expedient for the smooth running of the university.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National CapitalTerritory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy., TTE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.23 23:15:03 +05'30'